

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा-५७ अनुभाग)
दिनांक: देहरादून: ४५ नवम्बर २००९,

प्रार्थना पत्र सं:—१४५४ दिनांक १-६-०९
सर्वश्री जी सिओंग इन्टर प्राईजेज,
(यूनिट आफ जी सिओंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइलि०,
बी०ओ०-४ इन्दर रोड (प्रीतम रोड)
नियर दून इन्टर नेशनल स्कूल देहरादून।

प्रार्थी की ओर से — कोई उपरिथित नहीं हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, २००५ की धारा-५७ के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री जी सिओंग इन्टर प्राईजेज(यूनिट आफ जी सिओंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइलि०, बी०ओ०-४ इन्दर रोड (प्रीतम रोड)नियर दून इन्टर नेशनल स्कूल देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, की धारा ५७ के तहत दिनांक ०१-०६-०९ को प्रार्थना पत्र देते हुये निम्न वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत लागू कर देयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है:-

Electronic Therapeutic Equipments

- Thermal mats
- Thermal cushions
- Thermal pillows
- Thermal kneecaps
- Thermal foot massagers

Assembly of other Electrical Equipments Such as

- Electronic Display Boards
- Three Ball & Nine Ball projector assembly
- Power control Board assembly

Others

- Embossing labels
- Waist belt
- Cushions

2— विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यो) वाणिज्य कर देहरादून द्वारा उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं पर करदेयता पूछी गयी है वे किसी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः उन पर रैवेन्यू न्यूट्रल रेट(R.N.R.) अर्थात् प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू होगी।

3— फर्म को सुनवाई हेतु दिनांक ३१-८-०९, ८-९-०९, २२-९-०९, ३१-१०-०९, हेतु नोटिस जारी किया गया। फर्म की ओर से उक्त तिथियों में कोई उपरिथित नहीं हुआ। अतः व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ही गुण दोष के आधार पर ही विचार किया जोयगा।

4— मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया। फर्म द्वारा जिन बस्तुओं पर लागू कर देयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है वह उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००५ की किसी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः इनकी बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर रैवेन्यू न्यूट्रल रेट(R.N.R.) 12.5 प्रतिशत की दर से प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर करदेयता लागू होगी। इस प्रकार फर्म द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

5— निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता एवं कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक—पृथक भेजी जाए।

भवदीय,

 (वी0के0सक्सेना) 05/11/09
 एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।

पू0प०सं0 व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य खण्ड-3, देहरादून।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 4— एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/प्रवर्तन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 5— समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतिनिधियों कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/उद्योग/व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6— ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
- 7— ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
- 8— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 9— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रुड़की।
- 10— संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11— नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 12— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 13— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 14— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 15— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।


 05/11/09
 एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।

0/V